शासकीय महाविद्यालय, हसौद

जिला - जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

प्रवेश विवरणिका

ADMISSION
&
INFORMATION BROCHURE

GOVERNMENT COLLEGE, HASOUD

Distt. Janjgir-Champa (C.G.) 495661

शासकीय महाविद्यालय हसौद

जिला : जांजगीर-चॉम्पा (छ.ग.)

पिनकोड-495661

प्रवेश विवरणिका

Web site - www.govtcollegehasoud.com

E-mail - principal@govtcollegehasoud.com

1. आवेदन पत्र भरने से पूर्व विवरणिका को ध्यान से पढ़ें ।
2. आवेदन पत्र में अपना संपर्क नंबर अवस्य लिखें ।
3. प्रवेश शुल्क जमा करते समय शपथ पत्र की दोनों प्रतियाँ जमा करें ।

अनुक्रमणिका

1.	महाविद्यालय का परिचय	1
2.	महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले संकाय एवं विषय समूह	2
3.	विषय समूह में निर्धारित सीटों की संख्या	4
4.	महाविद्यालय में सुविधाएँ	5
5.	प्रवेश संबंधी नियम	9
6.	महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम	12
7.	छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये आचरण–संहिता	22
8.	रैगिंग संबंधी परिनियम	24
9.	सहायक प्राध्यापक एवं कर्मचारियों की सूची	25
10.	वार्षिक शुल्क विवरण	26

परिशिष्ट – प्रवेश आवेदन फार्म एवं शपथ पत्र ।

महाविद्यालय का परिचय

शासकीय महाविद्यालय हसौद ग्रामीण अंचल के जनसाधारण की माँग एंव स्थानीय सक्रिय जनप्रतिनिधियों के श्रम का प्रतिसाव है। इसकी स्थापना जुलाई 2008 में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा की गई हैं।

अभी महाविद्यालय के पास स्वयं का नवनिर्मित भवन उपलब्ध है, भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत हसौद द्वारा 10 एकड़ भूमि चिन्हांकित एवं प्रस्तावित कर शासन को दी गई थी, इस पर महाविद्यालय भवन बनकर तैयार है । सत्र् 2014-15 से महाविद्यालय नये भवन में संचालित हो रहा है ।

महाविद्यालय में शिक्षकों की व्यवस्था अपर्याप्त है। शासन के निर्देशानुसार अतिथि व्याख्याताओं एवं जनभागीदारी शिक्षकों से अध्यापन कार्य कराया जाता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने पर शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। महाविद्यालय में अन्य महाविद्यालय के शिक्षकों को आमंत्रित कर विशेष व्याख्यान कक्षाएँ आयोजित की जाती है। महाविद्यालय में बिलासपुर विश्वविद्यालय का परीक्षा केन्द्र भी है । परीक्षार्थी अपनी लगन और परिश्रम से सुविधा सम्पन्न महाविद्यालयों की भांति ही उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करते हैं। महाविद्यालय में खेलकूद,युवा गतिविधि,रेडक्रास, सांस्कृतिक गतिविधि एवं रा.से.यो.के माध्यम से व्यक्तित्व विकास हेतु विशेष प्रयास किये जाते हैं, जिससे छात्र-छात्राएँ लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रामीण अंचल में स्थापित यह महाविद्यालय शासन के आदेशों एवं उद्देश्यों के अनुरूप संचालित है। स्नातक स्तर में कला,विज्ञान,वाणिज्य के संकायों में छात्रो के अनुपात में छात्राओं की संख्या भी लगभग बराबर है यह अत्यंत प्रशंसनीय हैं । हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय में स्नातकोततर स्तर तक अध्यापन कार्य किया जाता है । सत्र 2015-16 में महाविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर संकाय में 1015 छात्र/छात्राओं ने प्रवेश लिया ।

महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले संकाय एवं विषय समूह

I - संचालित स्नातक कक्षायें

कला संकाय

1. **बी.ए. भाग-एक**

अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा पर्यावरण अध्ययन

ब. ऐच्छिक विषय - निम्नांकित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करें।

1. हिन्दी साहित्य　2. समाज शास्त्र
3. राजनीति शास्त्र　4. अंग्रेजी साहित्य　5. भूगोल

बी.ए. पाठ्यक्रम के तीनों वर्षो के लिये विषय एक ही होंगे, विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

2. **बी.ए. भाग-दो**

बी.ए. भाग-दो में वे ही विषय लेने होंगे, जो बी.ए. भाग-एक में लिये गये थे ।

3. **बी.ए. भाग-तीन**

बी.ए. भाग-तीन में वे ही विषय लेने होंगे जो बी.ए. भाग-2 में लिये गये थे।

विज्ञान संकाय

1. **बी.एस-सी. भाग-एक**

अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा पर्यावरण अध्ययन

ब. ऐच्छिक विषय - निम्नलिखित विषय समूहों में से कोई एक समूह -

1. प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र,।
2. गणित, भौतिकशास्त्र, रसायन शास्त्र ।

2. **बी.एस-सी. भाग-दो**

बी.एस.-सी. भाग-एक में लिये गये विषय ही लेने होंगें ।

3. **बी.एस-सी. भाग-तीन**

बी.एस.-सी. भाग-दो में लिये गये विषय ही लेने होंगें ।

वाणिज्य संकाय

1. बी.काम. भाग–एक

अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा पर्यावरण अध्ययन

ब. अनिवार्य समूह -
1. वित्तीय लेखांकन एवं व्यावसायिक गणित
2. व्यवसायिक संचार एवं व्यावसायिक नियमन रूप रेखा
3. व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक पर्यावरण

2. बी.काम भाग–दो

अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

ब. अनिवार्य समूह -
1. निगमित लेखा एवं लागत लेखांकन
2. व्यावसायिक सांख्यिकीय एवं उद्यमिता के तत्व
3. व्यवसाय प्रबंध एवं कम्पनी अधिनियम

3. बी.काम. भाग–तीन

अ. अनिवार्य विषय - आधारभूत पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

ब. अनिवार्य समूह	वैकल्पिक
1. आयकर (प्रत्यक्ष कर)	1. वित्तीय प्रबंध
2. अप्रत्यक्ष कर	2. वित्तीय बाजार संचालन
3. प्रबंधकीय लेखांकन	4. अंकेक्षण

II - संचालित स्नातकोत्तर कक्षायें (2015-16)

कला संकाय

1. स्नातकोत्तर कक्षाएं एम.ए. पूर्व/एम.ए.अंतिम एवं एम.एस.सी. पूर्व/अंतिम

1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. रसायन शास्त्र 4. भौतिकशास्त्र

2017-18 में प्रस्तावित नये विषय/कक्षा/पाठ्यक्रम

1. स्नातकोत्तर कक्षाएँ (एम.एस–सी.पूर्व)

1. प्राणीशास्त्र 2. वनस्पति शास्त्र 3. गणित

2. अतिरिक्त विषय :

I- बी.ए. भाग -1 - 1. इतिहास, 2. अर्थशास्त्र

II-. बी.एस.सी. भाग - 1 . कम्प्यूटर साइंस

विषय समूह में निर्धारित सीटों की संख्या

संकाय : स्तर/कक्षा	विषय	निर्धारित सीट संख्या	
कला संकाय			
स्नातक :			
बी.ए. भाग–एक	आधार पाठ्यक्रम, पर्यावरण अध्ययन, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल	300	
बी.ए. भाग–दो	आधार पाठ्यक्रम, पर्यावरण अध्ययन, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल	300	
बी.ए. भाग–तीन	आधार पाठ्यक्रम, पर्यावरण अध्ययन, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल	300	
वाणिज्य संकाय			
स्नातक			
बी.काम. भाग–एक	सभी अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय	60	
बी.काम. भाग–दो	सभी अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय	60	
बी.काम. भाग–तीन	सभी अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय	60	
विज्ञान संकाय			
स्नातक		बायो	गणित
बी.एस.सी. भाग–एक	आधार पाठ्यक्रम, पर्यावरण अध्ययन, रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित एवं भौतिक शास्त्र	145	80
बी.एस.सी. भाग–दो	आधार पाठ्यक्रम, पर्यावरण अध्ययन, रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित एवं भौतिक शास्त्र	145	80
बी.एस.सी. भाग–तीन	आधार पाठ्यक्रम, पर्यावरण अध्ययन, रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित एवं भौतिक शास्त्र	145	80
स्नातकोत्तर कक्षायें			
1. एम.ए.पूर्व/अंतिम	हिन्दी		
2. एम.ए.पूर्व/अंतिम	अंग्रेजी	50	50
3. एम.एस.सी पूर्व/अंतिम	भौतिक शास्त्र	50	50
4. एम.एस.सी. पूर्व/अंतिम	रसायन शास्त्र	40	40
		50	50

महाविद्यालय में सुविधाएँ

राष्ट्रीय सेवा योजना :

महाविद्यालय में 100 छात्रों की पुरूष एवं महिला संयुक्त इकाई की स्थापना राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। राष्ट्रीय विकास में छात्रों के रचनात्मक सहयोग एवं ग्रामीण शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय सत्र प्रारंभ होने के एक माह के अंदर निर्धारित आवेदन पत्र देकर नामांकन करना होगा। निश्चित तिथि के बाद राष्ट्रीय सेवा योजना के लिये प्रवेश प्राप्त छात्रों की सूचना प्रकाशित कर दी जावेगी। प्रत्येक छात्र को कम से कम एक शिविर में भाग लेने पर रासेयो प्रमाण पत्र की पात्रता होगी । एन.एस.एस. में 'बी' तथा 'सी' सर्टिफिकेट प्रदान करने की व्यवस्था है, इसके लिये सत्रांत में होने वाले रासेयो कार्यक्रम परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यह कार्यक्रम प्रायः अवकाश के दिनों में संचालित होता है। अतः रविवार एवं अन्य छुट्टियों के दिन नगर के निकटस्थ गांव में समाज सेवा हेतु अपने वाहन से जाना होगा। रासेयो में अनुशासन आवश्यक है। छात्र छात्राओं के, आचरण ठीक न होने पर कार्यक्रम अधिकारी उन्हें अलग कर सकेंगे।

ग्रंथालय विभाग

महाविद्यालय में एक समृद्ध ग्रंथालय है। वर्तमान में लगभग 13,000 (तेरह हजार) पुस्तकें स्नातक स्तर की है। ग्रंथालय में विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं कई शोध, जर्नल्स भी मंगाये जाते है। अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्र छात्राओं के लिये निःशुल्क पुस्तकें, प्रदान करने की बुक – बैंक योजना कार्यान्वित की जाती है। जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्र/छात्राओं को संत्रांत तक दो छात्रों के बीच एक सेट पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती है। जिन्हें परीक्षा उपरांत वापस लिया जाता है। सामान्य छात्र / छात्राओं को नियमानुसार ग्रंथालय से पुस्तकें प्रदान की जाती है । गरीबी रेखा के नीचे आने वाले विद्यार्थियों के लिये बी.पी.एल. बुक बैंक योजना संचालित है ।

1. महाविद्यालय में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी नियमानुसार ग्रंथालय के सदस्य बन जाते हैं । छात्रों को लाइब्रेरी कार्ड जारी किया जाता है ।
2. पुस्तकालय में पुस्तकों का निर्गमन तथा वापस लेना ग्रंथालय के नियंत्रण में रहता है । जिसके लिये उनके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। नियमोल्लंघन करने पर छात्र दण्डित होंगे ।
3. ग्रंथालय में विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं के पठन की सुविधा है ।
4. ग्रंथालय में महाविद्यालय के समस्त छात्र–छात्राओं को 15 दिनों के लिये तीन पुस्तक निर्गमित की जावेगी।
5. ग्रंथालय से ली गई पुस्तक यदि 15 दिनों के बाद न लौटाई गई तो प्रति पुस्तक प्रतिदिन 1.00 के हिसाब से अर्थदण्ड देय होगा । जिसका भुगतान शिक्षण शुल्क की किश्त के साथ अनिवार्य रूप से करना होगा । पुस्तकों को पुनः निर्गम कराने का नियम है ।
6. ग्रंथालय में प्रवेश एवं पुस्तक विनिमय हेतु छात्र के पास परिचय पत्र एवं ग्रंथालय कार्ड का होना आवश्यक है ।

शुल्क मुक्ति एवं अन्य सुविधाएं -

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अन्य नियमों के अनुसार छात्रों की शुल्क आदि में निम्नलिखत सुविधाएं भी दी जाती है, जिसे राज्य के शासकीय महाविद्यालय में लागू किया गया है ।

1. कृषक के पुत्र / पुत्रियों को सुविधा –

निम्न आय वाले कृषक के पुत्र / पुत्रि को अध्ययन शुल्क में एक तिहाई तक छूट दी जाती है, यह सुविधा केवल उन्हीं कृषकों के पुत्र/पुत्रियों को उपलब्ध हो सकती है जो 500/– से अधिक मालगुजारी न देते हों । ऐसी सुविधा प्राप्त करने से इच्छुक छात्र अपना आवेदन पत्र निम्नांकित प्रमाण–पत्रों के साथ प्राचार्य के पास प्रस्तुत करें ।

1) विद्यार्थी के पिता को खेती द्वारा आमदनी का शपथनामा ।

2) महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त पूर्ण कर तथा तहसीलदार से प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करें।

2. भातृ / भगिनी सुविधा

यदि महाविद्यालय में दो या अधिक भाई / बहिन नियमित छात्र हो तो बड़े को पूर्ण शुल्क देना होगा । इसके लिये छात्र प्रवेश के तुरंत बाद आवेदन करें ।

3. शासकीय कर्मचारियों के पुत्र / पुत्रियों के लिये सुविधा –

अ) शासकीय कर्मचारियों के पुत्र / पुत्रियों की सुविधा / चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों तथा सभी वर्ग के मृत कर्मचारियों के बच्चों का शिक्षण शुल्क स्नातक स्तर तक माफ रहेगा । माता–पिता का सेवा प्रमाण पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत करें ।

ब) 1800/– रूपयें तक वेतन प्राप्त करने वाले द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क से मुक्ति मिलती है ।

1) ऐसे छात्रों को निर्धारित प्रपत्र भरकर अपने माता/पिता के विभागीय प्रमुख के प्रमाण–पत्र के साथ प्रवेश के समय प्रस्तुत करना चाहिये ।

2) यह सुविधा किसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को नहीं मिलती परंतु उत्तीर्ण हो जाने पर दूसरी कक्षा में पुनः प्राप्त हो सकती है ।

3) सदाचार नियमित उपस्थिति एवं संतोषजनक प्रगति के आधार पर ही सुविधा चालू रहेगी। हड़ताल एवं अन्य विध्वंसक कार्यो में भाग लेने वाले छात्रों से यह सुविधा वापस ले ली जावेगी ।

4. छात्र सहायता निधि –

योग्य तथा निर्धन छात्रों को छात्र सहायता निधि से पुस्तक आदि क्रय करने के लिये सहायता दी जाती है ।

संस्था में उपलब्ध खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी

महाविद्यालय में विभिन्न खेलों की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें प्रमुख रूप से फुटबाल, व्हालीबाल, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, खो–खो, एथलेटिक्स, शतरंज, कैरम, आदि खेल मैदान प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में सम्पन्न कराये जाते है। नवीन महाविद्यालय परिसर में स्वयं का खेल उपलब्ध है। जिसमें निश्चित रूप से खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास का पर्याप्त अवसर मिल सकेगा । इसमें महाविद्यालय के प्रतिभाशाली खिलाड़ी विश्वविद्यालय एवं राज्य स्तर में अपनी प्रतिभा का और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे ।

विद्यार्थी सहायता कोष :

यू.जी.सी. द्वारा बनाये गये नियमों और निर्देशों के अनुसार इस कोष की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य निर्धन तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तक आदि के रूप में लघु आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता देना है ।

रेडक्रास सोसायटी :

महाविद्यालय में एक इकाई कार्यरत है इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को सेवा के कार्य का प्रशिक्षण, प्राथमिक उपचार की जानकारी, रक्त वर्ग परीक्षण, रक्तदान हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है ।

बुक बैंक :

यू.जी.सी. एवं शासन की सहायता से निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक का गठन किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को सम्पूर्ण सत्र के लिये पुस्तकें दी जाती है ।

महाविद्यालय में अनुसूचितजाति/जनजाति बुक बैंक योजना एवं बी.पी.एल. बुक बैंक योजना संचालित है। पात्र विद्यार्थी प्रवेश उपरान्त ग्रंथालय प्रभारी से संपर्क कर इसका लाभ ले सकते है।

नोट : ऐसे छात्र जो बुक बैंक पुस्तकें लेने की पात्रता रखता है विवरणिका में संलग्न फार्म भरकर पुस्तकालय अधिकारों को पर्याप्त प्रमाण सहित देंगे । पुस्तकालय के उपयोग के लिये परिचय पत्र लाना आवश्यक है। जुलाई माह में फीस कार्ड और प्रवेश कार्ड भी प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

छात्रवृत्ति योजना :

शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक एवं गरीबी रेखा के नीचे आने वाले सभी वर्गो के छात्र–छात्राओं के लिये प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना इस महाविद्यालय में पूरी तरह लागू है। इसके लिये विद्यार्थी को प्रभारी से संपर्क करना चाहिए। ऑनलाइन छात्रवृत्ति योजना एवं शिक्षा संगी कार्ड सुविधा महाविद्यालय में उपलब्ध है ।

परिचय पत्र (Identity Card) :

1. परिचय पत्र महाविद्यालय के छात्रों के लिये अनिवार्य है। महाविद्यालय में प्रवेश करते समय चेक पोस्ट में प्रत्येक छात्र/छात्रा को परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय में प्रवेश लेते समय आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर कार्यालय में देना आवश्यक होगा, ताकि प्रवेश पत्र के साथ परिचय पत्र भी छात्रों को प्राप्त हो सके।
3. परिचय पत्र को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखना छात्र–छात्राओं का कर्त्तव्य है।
4. महाविद्यालय में प्रवेश करते समय, प्रत्येक समारोह एवं उत्सव में सम्मिलित होते समय छात्राओं को परिचय पत्र साथ रखना होगा।

5. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा परिचय पत्र की मांग करने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. परिचय पत्र हस्तांतरण योग्य नहीं है। छात्र को यह निर्देश बाध्यकारी होगा, अन्यथा छात्र दण्ड का अधिकारी होगा।

7. परिचय पत्र खो जाने पर 15/– रूपये शुल्क तथा दो प्रतियां पासपोर्ट साईज फोटो जमा करने पर पुनः प्राप्त किया जा सकेगा, परन्तु नया परिचय–पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

8. ग्रंथालय के लिये परिचय–पत्र सह–ग्रंथालय कार्ड अनिवार्य है ।

उपस्थिति :

प्रत्येक विद्यार्थी की प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अभाव में वह विश्वविद्यालय परीक्षाओं से वंचित हो सकता है ।

समय–समय पर उपस्थिति के आंकड़ों की जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा । तत्संबंधी जानकारी उन्हें प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों से संपर्क प्राप्त करने पर प्राप्त होगी । उपस्थिति में कमीं के संबंध में महाविद्यालय, विद्यार्थी या उनके पालकों को सूचना देने के लिये उत्तरदायी नहीं है ।

जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 15 नवम्बर तक 60 प्रतिशत से कम होगी, उनके परीक्षा के आवेदन विश्वविद्यालय को अग्रेषित नहीं किये जावेंगे ।

स्वाध्यायी विद्यार्थियों को प्रयोगशाला सुविधा :

1. परिस्थिति एवं उपलब्ध साधनों के परिपेक्ष्य में प्राचार्य द्वारा लिये निर्णयानुसार प्रवेश सत्रारंभ से ही निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार ही होगा ।

2. प्रवेशार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 होगी, न्यूनतम संख्या से कम प्रवेशार्थी उपलब्ध होने पर कक्षा प्रारंभ नहीं होगी ।

3. इसके अंतर्गत स्वाध्यायी विद्यार्थी को 01 से 03 माह महाविद्यालय में प्रायोगिक कार्य करना आवश्यक होगा ।

4. चयनित प्रवेशार्थियों का निम्नानुसार शुल्क का एक किश्त में संपूर्ण रूप से पटाने पर ही प्रवेश माना जावेगा।

1)	प्रयोगशाला शुल्क	–	90.00
2)	टूट–फूट सामग्री शुल्क	–	60.00
3)	विकास शुल्क	–	25.00
4)	सुरक्षा निधि	–	100.00
		कुल रूपये	275.00

प्रवेश संबंधी नियम

प्रवेश तिथि :

छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र–छात्रा को प्रवेश समिति के साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश समिति द्वारा छात्रों की योग्यता प्रवीणता तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन कर तथा प्राचार्य की स्वीकृति मिल जाने पर छात्र–छात्रा को प्रवेश मिल सकेगा।

प्रवेश की स्वीकृति मिलते ही छात्र/छात्रा को 24 घंटे के भीतर अथवा निर्दिष्ट समय में प्रवेश शुल्क पटाना होगा।

प्रवेश पात्रता :

विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार महाविद्यालय में निम्नलिखित योग्यता वाले छात्र–छात्रा प्रवेश पा सकेंगे –

1. <u>बी.ए., बी.काम., बी.एस.–सी., बी.सी.ए. भाग–1</u>

   माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर (छ.ग.) या किसी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

2. <u>बी.ए., बी.काम., बी.एस.–सी., बी.सी.ए. भाग–2</u>

   क. बी.ए. बी.काम एवं बी.एस–सी.भाग–1 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या

   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

3. <u>बी.ए., बी.काम., बी.एस.–सी., बी.सी.ए. भाग–3</u>

   क. बी.ए. बी.काम एवं बी.एस–सी.भाग–2 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या

   ख. समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

4. स्नातकोत्तर कक्षा एम.एस.सी./एम.ए.प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु स्नातक उत्तीर्ण हो एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर कक्षा में प्रवेश हेतु एम. ए. द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा । (वि.वि./शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता मान्य होगी)

प्रवेश नियम (Admission Rules) :

1. महाविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर देना होगा। आवेदन पत्र छात्र एवं पालक के हस्ताक्षर से जमा करना अनिवार्य है।

2. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

   (1) स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Transfer Certificate)

   (2) अंकसूची (अंतिम परीक्षा दो प्रतिया)में स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि/ फोटो स्टेट कापी।

   (3) चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate)

   नियमित छात्रों को पूर्व के प्राचार्य के द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वाध्यायी छात्रों के लिए किन्हीं दो उत्तरदायी नागरिकों से चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति ही संलग्न करें।

   (4) प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) की मूल प्रति गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर परिसीमा के बाहर से आये छात्रों के लिए।

(5) अंतिम परीक्षा के प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) पासपोर्ट आकार के दो चित्र।

(7) जाति प्रमाण पत्र केवल अनु.जाति, अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए किसी राजस्व अधिकारी या तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।

(8) जन्म तिथि प्रमाण पत्र इसके लिए हाईस्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि मान्य होगी ।

नोट :

1. अनुत्तीर्ण, पूरक तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षा में नकल करते पकड़े गये छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त प्रवेश सूचना प्राप्त होते ही निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसका दायित्व छात्र का होगा, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी।
3. उपर्युक्त प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश रद्द हो जायेगा।
4. छात्र का आचरण अर्हता आदि से संबंधित आपत्ति होने पर प्राचार्य ऐसे प्रत्याशियों को महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अपात्र घोषित कर सकते है।
5. महाविद्यालय के शुल्क एवं आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्र का प्रवेश स्थाई समझा जायेगा। महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये प्रवेश से वंचित कर दे या प्रवेश ही रद्द कर दे।
6. जिस छात्र का प्रवेश स्वीकार हो जायेगा उसे एक प्रवेश पत्र/परिचय पत्र कार्यालय से दिया जायेगा। इन दोनों को वर्ष भर सुरक्षित रखना चाहिए।
7. आवेदन पत्र में छात्र का नाम सही होना चाहिये जो उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र या अंकसूची में अंकित हो। नाम परिवर्तन के इच्छुक छात्र /छात्रा को पांच रूपये के नान ज्युडिशियल स्टाम्प में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की अदालत में शपथ पत्र (Affidavit) देकर नत्थी करना होगा।
8. छात्र द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाये स्थायी एवं वर्तमान पते में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना प्राचार्य को तत्काल देना अनिवार्य है।
9. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रवेश नियमों का पालन किया जावेगा ।

शुल्क विनियम :

1. एक बार कोई शुल्क जमा हो जाने के बाद वह किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा।
2. एक बार किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र का सभी शुल्क पटाना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले एवं महाविद्यालय छोड़ दें।
3. संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद किसी प्रकार की राशि वापस नहीं की जायेगी।
4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप सुरक्षित रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्र या व्यक्ति के द्वारा जमा की जाये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए। अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगा।
5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालयीन शुल्क भी जमा करना होगा।

संस्था छोड़ने हेतु नियम :

यदि कोई छात्र मध्य सत्र में संस्था त्यागने और दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा करता है तो उसे विश्वविद्यालय अधिनियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करनी होगी।

(अ) संस्था त्यागने के उद्देश्य की लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) समस्त शुल्कों को जमा करना होगा।

(स) उक्त सम्पूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क उसे महाविद्यालय को देना पड़ेगा।

(द) महाविद्यालय से प्राप्त अन्य सहायता, निःशुल्क शिक्षा या छात्रवृत्ति आदि की राशि लौटानी होगी।

(च) निःशेष प्रमाण–पत्र (No Dues Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

(छ) स्थानांतरण प्रमाण–पत्र या आचरण प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति चाहने वाले छात्रों को 10/– रूपये जमा करना होगा।

(ज) समावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने पर टी.सी. लेते समय ही होगी बशर्ते अपनी रसीद प्रस्तुत करें। समावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के छः माह बाद नहीं की जायेगी।

विश्वविद्यालय नामांकन : (नवीन छात्र/छात्रा हेतु अनिवार्य)

1. विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु समय पर आवश्यक आवेदन पत्र भर कर नामांकन करा लेने का उत्तरदायित्व छात्रों का होगा। प्रवेश के बाद नामांकन फार्म महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में भरना होगा।
2. स्नातकोत्तर कक्षाओं की छात्राओं के लिए नामांकन एवं परीक्षा फार्म पृथक से स्वशासी प्रकोष्ठ में उपलब्ध होगा जिसे छात्रों को स्वयं प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा में जमा करना अनिवार्य होगा।

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत 2017-18

1. प्रयुक्ति :

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुये लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगें ।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश'' से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है ।

2. प्रवेश की तिथि :

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र जमा करना :

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगें । विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें ।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगें । (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी । कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा ।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान 'ब' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा । आवेदक 'ख' ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता ।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना:-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/ उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुये स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध वि.वि./स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लियेअध्यापन के विषय/विषयसमूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगें।

4. प्रवेश सूची :

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियो की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांको की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगायी जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगा कर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाए।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100/-अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा । स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्रा ने प्रवेश के लिये आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार ''राज्य शासन, एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है ।'' का पालन किया जाये ।

5. प्रवेश की पात्रता :

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

क. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छ.ग. में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पंदाकन छत्तीसगढ़ में है । उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितो तथा उनके आश्रितो को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियो को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

ख. सम्बद्ध वि.वि. से या सम्बद्ध वि.वि. द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और वि.वि. से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए ।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :

क. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य व कला संकाय के विद्यार्थियो को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

क. बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम/ एम.एस.-सी (गृहविज्ञान)/एम.ए. पूर्व प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर बी.एस.-सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी./एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष /प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्ण अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :

क. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. (प्रथम वर्ष) में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

ग. एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :-

विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु 40 प्रतिशत) होगी । विधि स्नातकोत्तर पूवार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगें ।

6. समकक्ष परीक्षा :

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इण्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षा में मा.शि.मं. की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध वि.वि. से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएसन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिगी देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा ।

6.3 संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य संबद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार -

''जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है । जैसा एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से संबंध है । वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे है । ऐसे छात्र एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगें । मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पारा + 2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे । अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हो तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें ।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम/बी.एस.सी./बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। किन्तु सम्बद्ध वि.वि./स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छ.ग. के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा, अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालयों से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता :

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48% पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदाकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नही होगी।

8. 5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताऐं :

9.1 किसी भी महाविद्यालय/वि.वि.शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो /या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहा हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों। चेतावनी देने के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, तो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 **प्रवेश की आयु सीमा :-**

(क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई के आधार में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जायेगी ।

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गए छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है ।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड.) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग एवं विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदको के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगा। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़ कर अन्य संकायो के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विष्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विष्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी ।

10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी, एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा ।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उनके निवास स्थान/तहसील /जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/ जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूर प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिये लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण :-

छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :—

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण, तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :-

क. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

ख. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

ग. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिश्ट व्यवस्था के पष्चात भी, जहाँ खण्ड क. ख. तथा ग. के अधीन आरक्षित सिटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क., ख. तथा ग के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क. ख. तथा ग. के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3% स्थान आरक्षित रहेंगें। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांको का 10% अंको का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित रहेगा।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जाएगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छुट प्रदान की जाए।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगत सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointements." का कड़ाई से पालन किया जाए ।

13. अधिभार :

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स :

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी./ए-सर्टिफिकेट	- 02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	- 03 प्रतिशत
(ग)	'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	- 04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	- 04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	- 05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	- 05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	- 10 प्रतिशत
(झ)	छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी.कैडेट	- 10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	- 10 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम/एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को/ चयनित करने अंतर्राष्ट्रीय के लिये वाले विद्यार्थी को - 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर - 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में -

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को - 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंर्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को - 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में -

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को - 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को - 12 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा सांइस एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत (विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में) चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्य को - 10 प्रतिशत

13.5 छ.ग.शासन/म.प्र.से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में-

(क) छ.ग./म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को - 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्य को - 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को - 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :

(क) छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड स्पोटर्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकीं उन्हें पात्रता है। बशर्ते कि-

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्श में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देयहोगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र :

शासकीय महाविद्यालयों में पी-एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष :

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दयित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतो के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगें। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शन सिद्धांतो में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन /निरसर/संलग्न का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये
आचरण - संहिता

सामान्य नियम :

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिये।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यहवार असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. विद्यार्थी अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम :

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्णतः पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में सही पुस्तकें, प्राप्त होगी तथा समय से नहीं लौटने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता -:

1. प्रत्येक विषय मे 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य।
2. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक।
3. एन.सी.सी.कैंप/एन.एस.एस./खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं मे सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थिति माना जायेगा।
4. मेडिकल लीव्ह में रहने वाले छात्र के उपस्थिति की गणना इन दिवसों को घटा कर की जावेगी।
5. उपस्थिति की प्रथम गणना 31.10.15 तक की, जावेगी।
6. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालकों को सूचना दी जायेगी।
7. उपस्थिति की द्वितीय गणना 17.02.16 तक की, जायेगी।
8. 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति से कम उपस्थिति वाले विज्ञान/गृह विज्ञान के विद्यार्थी ''महाविद्यालयीन'' के रूप में तथा कला/वाणिज्य के विद्यार्थी ''स्वाध्यायी'' के रूप में वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
9. विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र -

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पाँच साल तक कारावास की सजा या पाँच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय में पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

रैगिंग

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.06 संदर्भ एस.एल.पी. 2495/06 केरल विश्वविद्यालय विरूद्ध महाविद्यालय प्राचार्य की परिषद तथा एस.एल.पी. क्र. 24296-24299/ 2004 डब्ल्यू.पी. (सी.आर.सी) 173/2006 तथा एस.एल.पी. क्र. 14356/2005 के अनुसार रैगिंग लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है। रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय या अन्यत्र कही भी रैगिंग लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है। रैगिंग के लिये दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्काषित किया जाकर उसके विरूद्ध कठोर निषेधात्मक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। वरिष्ठ विद्यार्थी इसका ध्यान रखें।

रैगिंग संबंधी परिनियम

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग रोकने के लिये विशेष परिनियम :

1. यह विशेष विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के परिसर में रैगिंग कुप्रथा समाप्त करने के लिये स्थापित किया जा रहा है।
2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर और संबद्ध छात्रावास परिसर में होने वाली किसी घटना के लिये लागू होंगे। परिसर के बाहर की घटनाओं के लिये यह परिनियम प्रचलन में नहीं होगा।
3. रैगिंग में निम्नलिखित अथव इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होगा :
   - अ. शारीरिक आघात जैसे चोट पहुंचाना, चॉटा मारना, पीटना अथवा कोई दण्ड देना।
   - ब. मानसिक आघात जैसे मानसिक कलेश पहुचॉना, छेड़ना, अपमानित करना, डांटना।
   - स. अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले सुनाना, असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिये बाध्य करना।
   - द. सहपाठियों, साथियों या पूर्व छात्रों अथवा बाहरी असमाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित तत्वों के द्वारा अनियंत्रित व्यवहार जैसे हुल्लड़ मचाना, चीखना-चिल्लाना आदि।
4. ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक या कोई नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालय और कुलपति विश्वविद्यालयों में गठित प्राक्टोरियल बोर्ड को सौपेंगे। इस में चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रूप में प्राचार्य/कुलपति द्वारा मनोनित किया जायेंगे। इस हेतु प्राक्टोरियल बोर्ड की विशोष बैठक आहूत की जायेंगी। बैठक की सूचना, सूचना बोर्ड में कनोनित वरिष्ठतम प्राध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को दी जायेगी। यह वरिष्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्रॉक्टर कहलायेंगे।
5. प्रॉक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे।
6. प्राक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविलाय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दंड दिया जा सकेगा।
   1. महाविद्यालय से एक या दो वर्ष के लिये निष्कासन।
   2. राज्य के किसी भी महाविद्यालय या/एवं विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक।
   3. दोषी छात्र को दंड के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा। यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को संबोधित होगा।
   4. महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टोरियल बोर्ड की ऐसी किसी भी घटना को विस्तृत जांच संस्थित करने का पूर्ण अधिकार होंगे और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा।
   5. कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही में प्राचार्य/कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।
   6. यदि रैगिंग का कृत्य किसी पूर्व छात्र अथवा अछात्र द्वारा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस की सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा।

      इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ.आई.आर. दर्ज करवाना आवश्यक होगा।

वार्षिक शुल्क विवरण

शुल्क विवरण	बी.ए./बी.कॉम	बी.एस.सी.	पी.जी.कक्षाएं
शासकीय शुल्क :			
1. प्रवेश शुल्क	3.00	3.00	3.00
2. स्टेशनरी शुल्क	5.00	5.00	5.00
3. प्रायोगिक शुल्क	-	20.00	-
4. शिक्षण शुल्क (स्नातक)	115.00	115.00	126.00

अशासकीय शुल्क

1.	छात्र कल्याण राशि	10.00
2.	अवधान राशि (स्नातक/स्नातकोत्तर)	100.00
3.	सम्मिलित निधि	34.00
4.	वाचनालय पत्र पत्रिका	40.00
5.	विकास शुल्क	100.00
6.	स्नेह सम्मेलन शुल्क	50.00
7.	निर्धन छात्र कल्याण कोष	10.00
8.	परिचय पत्र शुल्क	50.00
9.	चिकित्सा शुल्क	10.00
10.	रेडक्रास शुल्क	25.00
11.	छात्र संघ शुल्क	30.00
12.	नामांकन शुल्क	100.00
13.	विश्वविद्यालय छात्र कल्याण परिषद	10.00
14.	विश्वविद्यालय पुस्तकालय शुल्क	20.00
15.	शारीरिक कल्याण शुल्क	170.00
16.	युवा उत्सव शुल्क	20.00
17.	वि.वि. युवा गतिविधि शुल्क	1.00
18.	महाविद्यालय आंतरिक परीक्षा शुल्क	100.00
19.	महाविद्यालय वार्षिक पत्रिका शुल्क	100.00
20.	परिसर एवं अन्य व्यय	100.00
21.	सायकल स्टैण्ड	35.00
22.	छात्रा कक्ष	30.00
23.	ग्रंथालय कार्ड शुल्क	20.00

जनभागीवारी शुल्क

1.	बी.ए./बी.कॉम.	500/-
2.	बी.एस.सी.	500/-
3.	एम.ए./एम.कॉम.	1000/-
4.	एम.एस.सी.	1000/-

नोट - 1. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / शासकीय कर्मचारी / छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट रहेगी तथा बी.ए./ बी.एस.सी./बी.कॉम / भाग दो एवं तीन के छात्र-छात्राओं को नामांकन शुल्क एवं अवधान राशि में छूट रहेगी।

2. जनभागीदारी मद से विषय/ पाठ्यक्रम/कक्षा संचालित होने पर जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा।